



समुद्री संसाधनों और आजीविका को मजबूत करना: भारत ने वर्ल्ड फिशरीज़ डे 2025 मनाया

मछुआरों को मजबूत बनाना और ब्लू इकॉनमी को आगे बढ़ाना

18 नवंबर 2025

प्रमुख उपलब्धियां

- भारत सस्टेनेबिलिटी, आजीविका और ब्लू इकॉनमी ग्रोथ पर ज़ोर देते हुए वर्ल्ड फिशरीज़ डे 2025 मना रहा है।
- भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और दुनिया के सबसे बड़े झींगा उत्पादकों में से एक है।
- भारत का मछली उत्पादन 2013-14 में 96 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 195 लाख टन हो गया है।
- मुख्य मछली प्रोडक्ट्स पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे वैल्यू-एडेड सीफूड घर पर ज़्यादा सस्ता हो गया है और भारत की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस मजबूत हुई है।
- मरीन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट अक्टूबर 2024 में 0.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 11.08% बढ़कर अक्टूबर 2025 में 0.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- PMMSY के तहत, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में 730 कोल्ड स्टोरेज और आइस प्लांट, 26,348 मछली ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं और 6,410 मछली कियोस्क शामिल हैं, जिससे यह सेक्टर पूरे देश में मजबूत होगा।

परिचय

21 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाने वाला वर्ल्ड फिशरीज़ डे, खाने और न्यूट्रिशन की सुरक्षा, रोज़ी-रोटी कमाने और इकोलॉजिकल बैलेंस में मदद करने के लिए सस्टेनेबल फिशरीज़ और एक्वाकल्चर की

अहम भूमिका पर ज़ोर देता है। इस दिन की शुरुआत 1997 में हुई थी, जब 18 देशों के डेलीगेट्स नई दिल्ली में **वर्ल्ड फिशरीज़ फोरम** बनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, जो ज़िम्मेदारी से मछली पकड़ने के तरीकों को बढ़ावा देता है और मछली पकड़ने वाले समुदायों के हितों की रक्षा करता है।¹

भारत में, इस दिन का खास महत्व है, क्योंकि यह देश दुनिया भर में मछली और एक्वाकल्चर का **दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर** है, और **दुनिया के लीडिंग श्रिम्प प्रोड्यूसर्स** में से एक है।² यह सेक्टर 30 मिलियन से ज़्यादा लोगों को रोज़ी-रोटी देता है, खासकर तटीय और ग्रामीण इलाकों में, और भारत की ब्लू इकॉनमी के एक मुख्य ड्राइवर के तौर पर काम करता है।³ तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें लगभग 3,477 तटीय मछली पकड़ने वाले गांव शामिल हैं, देश के कुल मछली प्रोडक्शन का 72 प्रतिशत प्रोड्यूस करते हैं और भारत के कुल सीफ़ूड एक्सपोर्ट का 76 प्रतिशत हिस्सा हैं।⁴ इसके अलावा, समुद्री प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अक्टूबर 2024 में US\$0.81 बिलियन से 11.08% बढ़कर अक्टूबर 2025 में US\$0.90 बिलियन हो गया।⁵

भारत फिशरीज़ सेक्टर के लिए सपोर्ट को मजबूत कर रहा है, और सबसे नया कदम GST रिफॉर्म्स के ज़रिए आया है, जिन्हें GST काउंसिल ने 3 सितंबर 2025 को अपनी 56वीं मीटिंग में मंज़ूर किया था। बदले हुए स्ट्रक्चर के तहत, मछली के तेल, मछली के अर्क, और तैयार या प्रिज़र्व्ड मछली और झींगा प्रोडक्ट्स के लिए GST रेट्स में 12 परसेंट से 5 परसेंट तक की मंजूरी दी गई है। इस कदम से वैल्यू-एडेड सीफ़ूड देश में ज़्यादा सस्ता होने और भारतीय सीफ़ूड एक्सपोर्ट की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने की उम्मीद है।¹

इसके अलावा, भारत के हाल के दखल का मकसद इस सेक्टर को पूरी तरह से मजबूत करना है, जिससे सस्टेनेबल और इनक्लूसिव ग्रोथ के लिए एक मजबूत नींव बने। यह PMSSY, EEZ सस्टेनेबल हार्नेसिंग रूल्स और ReALCRaft प्लेटफॉर्म जैसी टारगेटेड स्कीम के ज़रिए ट्रांसपेरेंसी और बेहतर गवर्नेंस को आगे बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। ये कोशिशें मिलकर ज़िम्मेदार फिशरीज़ मैनेजमेंट के लिए भारत के कमिटमेंट को पक्का करती हैं, जिससे वर्ल्ड फिशरीज़ डे के बढ़ते महत्व को समझने का माहौल बनता है।

इस साल, वर्ल्ड फिशरीज़ डे **“इंडियाज़ ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन: स्ट्रेंथनिंग वैल्यू एडिशन इन सीफ़ूड एक्सपोर्ट्स”** थीम के साथ मनाया जा रहा है। यह सेलिब्रेशन ग्लोबल है, जिसमें इंडिया देश भर से और विदेशों से पार्टिसिपेंट्स को होस्ट कर रहा है, जिसमें 27 देशों के डेलीगेशन शामिल हैं, जो ब्लू इकॉनॉमी में देश की बढ़ती लीडरशिप और पार्टनरशिप को दिखाता है। इस इवेंट के हिस्से के तौर पर, **डिपार्टमेंट ऑफ़ फिशरीज़, फिशरीज़ और एक्वाकल्चर में ट्रेसेबिलिटी पर नेशनल फ्रेमवर्क** जारी करेगा, जो बेहतर मार्केट एक्सेस के साथ सुरक्षित, सस्टेनेबल और ग्लोबली कम्प्लायंट सीफ़ूड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।¹ सस्टेनेबल फिशरीज़ और एक्वाकल्चर के लिए कई ज़रूरी इंटरवेंशन भी लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें मैरीकल्चर के लिए SOPs, स्मार्ट और इंटीग्रेटेड हार्बर के लिए गाइडलाइन्स, फिश लैंडिंग सेंटर्स, रिज़र्वॉयर फिशरीज़ मैनेजमेंट और कोस्टल एक्वाकल्चर गाइडलाइन्स का एक कम्पेंडियम शामिल है।

विश्व मत्स्य दिवस का महत्व

मत्स्य पालन क्षेत्र में भारत की प्रगति

भारत दुनिया भर में मछली पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो दुनिया के मछली उत्पादन का लगभग 8 प्रतिशत हिस्सा है।¹ मछली पालन सेक्टर लाखों लोगों के लिए, खासकर तटीय और ग्रामीण समुदायों में, भोजन, रोजगार और आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है, और पिछले दशक में इसके पैमाने और स्थिरता दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

2013-14 और 2024-25 के बीच, भारत का कुल मछली उत्पादन दोगुना से ज्यादा हो गया, जो 96 लाख टन से बढ़कर 195 लाख टन² हो गया, इस दौरान देश के अंदर मछली पालन में 140 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की गई।³ 2024-25 में सीफूड एक्सपोर्ट अब ₹62,408 करोड़ हो गया है, जो इस सेक्टर की बढ़ती ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को दिखाता है।⁴



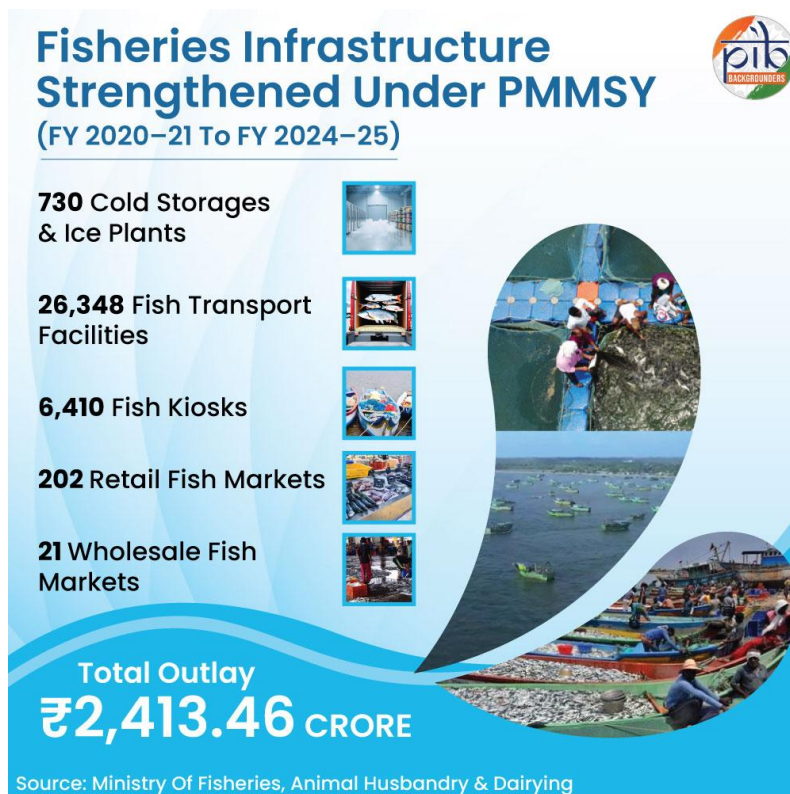
भारत की 11,099 किमी लंबी कोस्टलाइन और बड़े अंदरूनी पानी के संसाधनों ने मिलकर इस तरक्की को बढ़ावा दिया है, जिससे ग्लोबल ब्लू इकॉनमी में देश की भूमिका बढ़ी है और साथ ही न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में भी सुधार हुआ है।¹ इस तेज़ ग्रोथ को सरकार की कई बदलाव लाने वाली पहलों से मदद मिली है, जिसमें 5वीं नेशनल मरीन फिशरीज़ सेंसस 2025, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन (EEZ) में फिशरीज़ का सस्टेनेबल इस्तेमाल के नियम, और फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) जैसी बड़ी योजनाएं शामिल हैं। इन सभी ने मिलकर सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत किया है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, और भारत के फिशरीज़ और एक्वाकल्चर लैंडस्केप में लंबे समय तक चलने वाली सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दिया है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)¹

10 सितंबर, 2020 को शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की एक खास पहल है।¹ 2020-21 से 2025-26² के समय के लिए कुल ₹20,312 करोड़ के निवेश के साथ, यह योजना भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र के टिकाऊ और ज़िम्मेदार

विकास को पक्का करके नीली क्रांति को बढ़ावा देना चाहती है, साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मछुआरों और मछली किसानों की भलाई को बढ़ाना चाहती है।

पिछले पांच सालों (FY 2020-21 से 2024-25) में, PMMSY ने देश भर में मछली पालन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में काफी योगदान दिया है। इस स्कीम ने 730 कोल्ड स्टोरेज और आइस प्लांट, 26,348 मछली ट्रांसपोर्ट यूनिट, 6,410 मछली कियोस्क, साथ ही 202 रिटेल और 21 होलसेल मछली मार्केट बनाने में मदद की है, जिसमें अब तक कुल ₹2,413.46 करोड़ का निवेश हुआ है। इसके अलावा, PMMSY के तहत, डिपार्टमेंट ने तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में 100 मौजूदा तटीय मछुआरे गांवों (CFVs) को क्लाइमेट-रेज़िलिएंट तटीय मछुआरे गांवों (CRCFVs) में बदलने की एक बड़ी पहल की है। इन गांवों की पहचान संबंधित राज्यों/UTs के साथ मिलकर की गई है, ताकि तटीय मछली पकड़ने वाले समुदायों के बीच क्लाइमेट रेज़िलिएंस को बढ़ाया जा सके और आर्थिक मजबूती को बढ़ावा दिया जा सके।



सरकार ने मछली पालन और उससे जुड़ी एक्टिविटीज़ में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। PMMSY के तहत, महिला लाभार्थियों को 60 परसेंट सरकारी मदद मिलती है, जबकि दूसरे स्टैकहोल्डर्स को 40 परसेंट मदद मिलती है, ताकि इस सेक्टर में उनकी ज़्यादा भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। एक्स्ट्रा मदद में कैपेसिटी-बिल्डिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट की पहल, और महिलाओं के नेतृत्व वाली कोऑपरेटिव, सेल्फ-हेल्प ग्रुप और प्रोड्यूसर ग्रुप बनाने और उन्हें मजबूत करने में मदद शामिल है। इसके

अलावा, महिलाएं **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)**¹ तक पहुंच सहित रियायती क्रेडिट सुविधाओं के लिए भी योग्य हैं। PMMSY के ज़रिए, भारत एक मॉडर्न, सबको साथ लेकर चलने वाले और टिकाऊ मछली पालन सेक्टर की ओर बढ़ रहा है जो रोज़ी-रोटी को सपोर्ट करता है, महिलाओं को मज़बूत बनाता है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है, और *विकसित भारत* के बड़े विज़न में योगदान देता है।

एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन (EEZ) में मत्स्य पालन का सतत दोहन¹

भारत सरकार ने 4 नवंबर 2025 को **एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन (EEZ)** में मछली पालन के सस्टेनेबल इस्तेमाल के लिए नियम नोटिफ़ाई किए, जो समुद्री संसाधनों के गवर्नेंस में एक अहम पड़ाव है। यह सुधार, यूनिशन बजट 2025-26 में एक अहम घोषणा के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका मकसद मछली पकड़ने के सस्टेनेबल तरीकों को बढ़ावा देना, कोऑपरेटिव संस्थाओं को मज़बूत करना और भारत की गहरे समुद्र में मछली पालन की काफ़ी हद तक अनछुई क्षमता को सामने लाना है।

नए नियमों के तहत, **फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी** और **फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FFPOs)** को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के मौकों तक प्रायोरिटी मिलेगी, साथ ही मॉडर्न जहाजों और ट्रेनिंग के लिए सपोर्ट भी मिलेगा। इस पहल से छोटे मछुआरों की इनकम बढ़ने, एक्सपोर्ट पर आधारित मछली पालन में उनकी हिस्सेदारी बढ़ने और लोकल वैल्यू चेन, खासकर अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड में, मज़बूत होने की उम्मीद है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और ऑपरेशन को आसान बनाने के लिए, **ReALCRaft पोर्टल** के ज़रिए **मैकेनाइज्ड जहाजों** के लिए एक डिजिटल एक्सेस पास सिस्टम शुरू किया गया है, जबकि पारंपरिक मछुआरों को इस ज़रूरत से छूट दी गई है। इसके अलावा, MPEDA और **एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल (EIC)** जैसी **एक्सपोर्ट बॉडी** के साथ **इंटीग्रेशन से ट्रेसिबिलिटी, सर्टिफिकेशन प्रोसेस** और **इंडियन सीफूड की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस** मज़बूत होगी।

ReALCRaft क्या है?

ReALCRaft एक वेब-बेस्ड एप्लिकेशन है जिसे ओपन-सोर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। यह मछली पकड़ने वाली नावों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मछली पकड़ने के लाइसेंस जारी करने में मदद करता है। यह प्लेटफॉर्म एप्लिकेंट को दूर से ही अपनी एप्लीकेशन जमा करने और ई-पेमेंट सहित पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से पूरी करने की सुविधा देता है। एप्लिकेंट द्वारा दी गई जानकारी को अधिकारी नाव के इंस्पेक्शन और डॉक्यूमेंट चेक के ज़रिए वेरिफ़ाई करते हैं। एप्लिकेंट को सिर्फ़ बायोमेट्रिक कैप्चर और फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए ऑफ़िस जाना ज़रूरी है। इन स्टेप्स को पूरा करने पर, सिस्टम रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट (RC) या लाइसेंस सर्टिफ़िकेट (LC) जारी करता है। RC और LC जारी करने के अलावा, ReALCRaft मछली पकड़ने वाली नावों के लिए कई और सर्विस भी देता है, जिसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र, हाइपोथेकेशन जोड़ना और नाव की डिटेल्स में बदलाव करना शामिल है, जिससे यह मछली पालन गवर्नेंस के लिए एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बन जाता है।¹

समुद्री बायोडायवर्सिटी को सुरक्षित रखने के लिए, नियम नुकसान पहुंचाने वाले मछली पकड़ने के तरीकों पर रोक लगाते हैं और समुद्री खेती को बढ़ावा देते हैं, जिसमें समुद्री शैवाल की खेती और समुद्री पिंजरे में खेती शामिल है, ताकि यह रोज़ी-रोटी का स्थायी ज़रिया बन सके। **वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम (VCSS) प्रोजेक्ट** के तहत, जनवरी 2025 तक तटीय इलाकों में 36,000 से ज़्यादा ट्रांसपोंडर पहुंचाए जा चुके हैं। ट्रांसपोंडर और NABHMITRA ऐप जैसी डिजिटल सुरक्षा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समुद्री सुरक्षा को और बढ़ाएगा और सुरक्षित मछली पकड़ने की गतिविधियों की निगरानी में एनफोर्समेंट एजेंसियों की मदद करेगा। कुल मिलाकर, इन उपायों से मछुआरे समुदाय की इनकम बढ़ने, रोज़ी-रोटी के मौके बढ़ने और ग्लोबल सीफूड मार्केट में भारत की कॉम्पिटिटिवनेस मजबूत होने की उम्मीद है, साथ ही समुद्री इकोसिस्टम की लंबे समय तक चलने वाली स्थिरता भी पक्की होगी।

NABHMITRA (आसमान में एक दोस्त) एक ट्रैकिंग सिस्टम है जिसे भारत के तटीय पानी में चलने वाले छोटे मछली पकड़ने वाले जहाजों (20 मीटर से कम) के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सिस्टम ऑनबोर्ड टर्मिनल और सेंट्रलाइज़्ड कंट्रोल सेंटर के बीच टू-वे कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाता है, जो रियल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग, इमरजेंसी (SOS) अलर्ट और रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे ज़रूरी काम देता है, जिससे मछली पकड़ने के कामों की सुरक्षा और तालमेल बेहतर होता है।¹

समुद्री मत्स्य पालन सेंसस 2025¹

31 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई नेशनल मरीन फिशरीज़ सेंसस (MFC) 2025, भारत के फिशरीज़ सेक्टर में पूरी तरह से डिजिटल और जियो-रेफरेंस डेटा कलेक्शन की दिशा में एक बड़ी तरक्की दिखाती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत फिशरीज़ डिपार्टमेंट द्वारा की गई इस जनगणना में, ICAR-सेंट्रल मरीन फिशरीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट (CMFRI) नोडल एजेंसी और फिशरी सर्वे ऑफ़ इंडिया (FSI) ऑपरेशनल पार्टनर है। यह 45 दिन की देश भर में होने वाली जनगणना (3 नवंबर-18 दिसंबर 2025) 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 5,000 गांवों के 1.2 मिलियन मछुआरों के परिवारों को कवर करेगी।

MFC 2025 में एक एडवांस्ड डिजिटल इकोसिस्टम अपनाया गया है, जिसे कस्टम मोबाइल एप्लिकेशन से सपोर्ट मिलता है, जिसमें **VyAS-NAV**, **VyAS-BHARAT**, और **VyAS-SUTRA** शामिल हैं, जो रियल-टाइम, जियो-रेफरेंस गिनती, तुरंत डेटा वेरिफिकेशन, और फील्ड ऑपरेशन की लगातार मॉनिटरिंग को मुमकिन बनाते हैं। पहली बार, जनगणना में मछुआरे परिवारों की डिटेल्ड सोशियो-इकोनॉमिक प्रोफाइल बनाई जाएगी, जिसमें इनकम, इंश्योरेंस स्टेटस, क्रेडिट तक पहुंच, और सरकारी स्कीम में हिस्सेदारी की जानकारी शामिल होगी।

Marine Fisheries Census (MFC) 2025 Fully Digital and Paperless

Smart Census, Smarter Fisheries



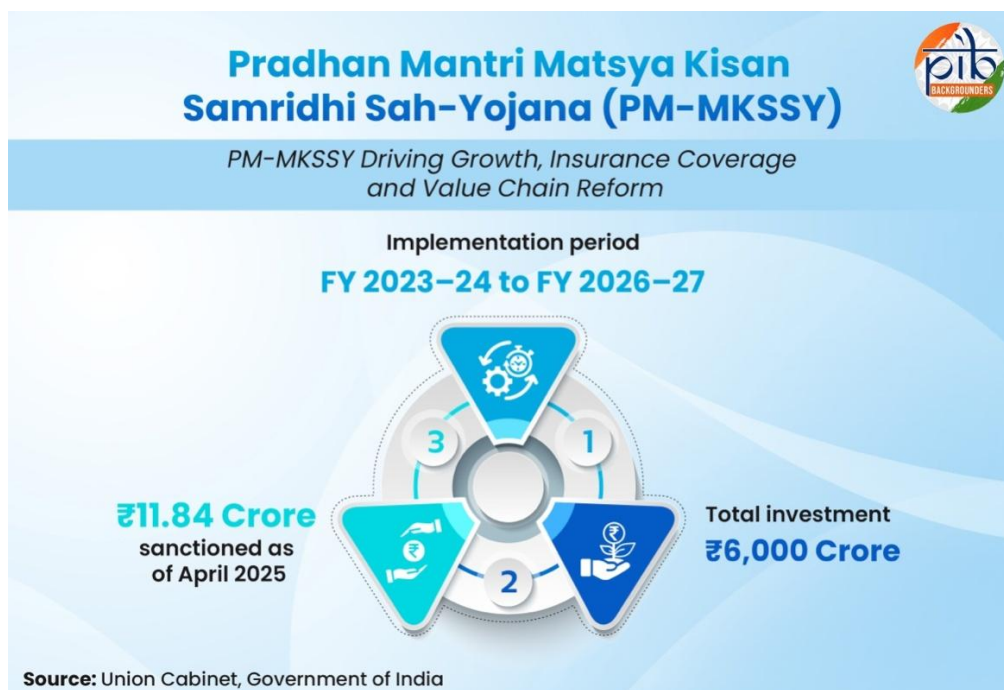
एक खास इनोवेशन है सेंसस का नेशनल फिशरीज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDLP) के साथ इंटीग्रेशन, जिससे मछुआरे और मछली पालने वाले किसान प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) के तहत फायदे के लिए डिजिटली रजिस्टर कर सकेंगे। इस इंटीग्रेशन से ट्रांसपेरेंसी बढ़ने, वेलफेयर डिलीवरी को आसान बनाने और टारगेटेड, क्वालिटी-रेज़िलिएंट और इनक्लूसिव फिशरीज़ पॉलिसी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। “स्मार्ट सेंसस, स्मार्टर फिशरीज़” के मोटो के साथ, MFC 2025 का मकसद डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करना, डेटा क्वालिटी को बढ़ाना और समुद्री रिसोर्स के सस्टेनेबल और इक्विटेबल मैनेजमेंट को पक्का करने के लिए सबूतों के आधार पर फैसले लेने को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई)

फिशरीज़ वैल्यू चेन में एफिशिएंसी, सेफ्टी और रेज़िलिएंस बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने 8 फरवरी 2024 को PMMSY के तहत सेंट्रल सेक्टर सब-स्कीम के तौर पर प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) को मंजूरी दी। यह स्कीम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चार साल (FY 2023-24 से FY 2026-27) के लिए लागू की जा रही है, जिसमें कुल ₹6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा।

PM-MKSSY के कंपोनेंट 1-B के तहत, यह स्कीम मछली पालन करने वाले किसानों को एक्वाकल्चर इंश्योरेंस खरीदने के लिए बढ़ावा देने के लिए एक बार का इंसेंटिव देती है। यह इंसेंटिव इंश्योरेंस प्रीमियम का 40 परसेंट कवर करता है, जिसकी लिमिट ₹25,000 प्रति हेक्टेयर है और यह 4 हेक्टेयर तक के वाटर स्प्रेड एरिया (WSA) वाले खेतों के लिए प्रति किसान ₹1 लाख तक लिमिटेड है।¹ PM-MKSSY का मकसद

फिशरीज़ सेक्टर को फॉर्मल बनाना, एक्वाकल्चर इंश्योरेंस कवरेज बढ़ाना, और बेहतर सेफ्टी, क्वालिटी एश्योरेंस और ट्रेसिबिलिटी सिस्टम के ज़रिए वैल्यू चेन एफिशिएंसी को बेहतर बनाना है। अप्रैल 2025 तक, स्कीम को शुरू में लागू करने में मदद के लिए ₹11.84 करोड़ की फाइनेंशियल मदद मंजूर की गई है।



इस स्कीम को 10 नवंबर 2025 को लॉन्च हुए थर्ड वर्ल्ड बैंक-AFD इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट मिशन के ज़रिए इंटरनेशनल सहयोग से भी फ़ायदा हो रहा है। नेशनल फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड (NFDB) और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के साथ पार्टनरशिप में फिशरीज़ डिपार्टमेंट की लीडरशिप में, यह मिशन प्रोजेक्ट डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन क्वालिटी और मेज़रेबल नतीजों को बेहतर बनाने पर फ़ोकस करता है। ये मिलकर की गई कोशिशें एक ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और सस्टेनेबल फिशरीज़ इकोसिस्टम में योगदान दे रही हैं, जिससे मछुआरों, एक्वाकल्चर एंटरप्रेन्योर्स और कोस्टल कम्युनिटीज़ को लंबे समय तक फ़ायदा मिल रहा है।¹

मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ)¹

फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF) को यूनियन बजट 2018 में फिशरीज़ और एक्वाकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पेश किया गया था। 2018-19 में, फिशरीज़, एनिमल हसबैंड्री और डेयरी मंत्रालय के तहत फिशरीज़ डिपार्टमेंट ने ₹7,522.48 करोड़ के कुल फंड के साथ FIDF बनाया था। फाइनेंशियल मदद को और मज़बूत करने के लिए, भारत सरकार ने FIDF को तीन और सालों के लिए, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक (FY 2023-24 से FY 2025-26 तक) बढ़ाने की मंजूरी दी है। इस बड़े हुए समय के दौरान, एनिमल हसबैंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (AHIDF) के मौजूदा क्रेडिट गारंटी फंड के ज़रिए क्रेडिट गारंटी सपोर्ट दिया जा रहा है।

एफआईडीएफ राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य एजेंसियों सहित पात्र संस्थाओं को प्राथमिकता वाले मत्स्य पालन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रियायती वित्तपोषण प्रदान करता है। इस योजना के तहत ऋण राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) और सभी अनुसूचित बैंकों जैसे नोडल ऋण देने वाली संस्थाओं (एनएलई) के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। मत्स्य पालन विभाग एनएलई द्वारा जारी किए गए ऋणों पर प्रति वर्ष 3 प्रतिशत तक ब्याज सहायता प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभार्थियों के लिए प्रभावी ब्याज दर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम न हो। हैदराबाद में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) इस योजना के लिए नोडल कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए, एनएफडीबी ने एक ऑनलाइन एफआईडीएफ पोर्टल विकसित किया है जो परियोजना प्रस्तावों को डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने, प्रसंस्करण और अनुमोदन में सक्षम बनाता है

जुलाई 2025 (FY 2025–26) तक, अलग-अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के कुल 178 प्रोजेक्ट प्रपोज़ल को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें कुल ₹6,369.79 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और ₹4,261.21 करोड़ का इंटरेस्ट सबवेंशन हिस्सा शामिल है। ये इन्वेस्टमेंट फिशरीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने और सस्टेनेबल सेक्टरल ग्रोथ को बढ़ावा देने में एक बड़ी तरक्की दिखाते हैं।

सतत मत्स्य पालन में एमपीईडीए की भूमिका¹

मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (MPEDA) भारत में सस्टेनेबल फिशरीज़ डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में एक अहम भूमिका निभाती है, जो वर्ल्ड फिशरीज़ डे पर मनाए जाने वाले सिद्धांतों के साथ करीब से जुड़ी हुई है। सीफूड एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए देश की नोडल एजेंसी के तौर पर, MPEDA कई तरह के टारगेटेड इंटरवेंशन के ज़रिए इकोनॉमिक ग्रोथ को इकोलॉजिकल मैनेजमेंट के साथ जोड़ने का काम करती है। MPEDA समुद्री और मीठे पानी के रिसोर्स का लंबे समय तक बचाव पक्का करने के लिए तटीय और अंदरूनी इलाकों के समुदायों के बीच जिम्मेदार और पर्यावरण के हिसाब से सस्टेनेबल मछली पकड़ने के तरीकों को बढ़ावा देती है। यह कड़े क्वालिटी कंट्रोल और सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड लागू करती है, जिससे भारतीय सीफूड लगातार ग्लोबल स्टैंडर्ड को पूरा कर पाता है। अथॉरिटी एक्वाकल्चर किसानों को टेक्निकल गाइडेंस और एडवाइज़री सर्विस भी देती है, जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम को बढ़ावा देती है जो पानी के इकोसिस्टम को सुरक्षित रखते हुए आउटपुट बढ़ाते हैं।

सीफूड वैल्यू चेन को मज़बूत करने के लिए, MPEDA मछुआरों, किसानों और एक्सपोर्टर्स के लिए बेहतर मार्केट एक्सेस की सुविधा देता है, जिससे ग्लोबल मार्केट में इनकम की संभावना और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। यह फिशरीज़ और एक्वाकल्चर में इनोवेटिव और इको-फ्रेंडली टेक्नोलॉजी लाने के लिए रिसर्च

और डेवलपमेंट की पहल करता है। इसके अलावा, MPEDA स्टेकहोल्डर्स को ज़िम्मेदार रिसोर्स मैनेजमेंट और बेहतर प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए ज़रूरी स्किल्स देने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग और कैपेसिटी-बिल्डिंग प्रोग्राम चलाता है। इन लगातार कोशिशों से, MPEDA सस्टेनेबल फिशरीज़, समुद्री संरक्षण और लंबे समय तक रिसोर्स सिक्योरिटी के लिए भारत के कमिटमेंट को मज़बूत करता है, यह पक्का करता है कि पानी के रिसोर्स आने वाली पीढ़ियों के लिए रोज़ी-रोटी, न्यूट्रिशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करते रहें।

निष्कर्ष

वर्ल्ड फिशरीज़ डे 2025 भारत के फिशरीज़ और एक्वाकल्चर सेक्टर में हुई बड़ी तरक्की और इसके भविष्य को आकार देने वाली मज़बूत रफ़्तार पर सोचने का एक सही समय पर मौका देता है। दुनिया भर में मछली उत्पादन में भारत की लगातार बढ़ोतरी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, और डिजिटल टेक्नोलॉजी का बढ़ता इस्तेमाल सस्टेनेबिलिटी, एफिशिएंसी और लंबे समय तक चलने वाली मज़बूती की ओर एक साफ़ बदलाव का संकेत देता है। EEZ के लिए सस्टेनेबल हार्नेसिंग रूल्स, मरीन फिशरीज़ सेंसस 2025, और PMMSY और PM-MKSSY के तहत बड़े निवेश जैसे मुख्य सुधार, लाखों मछुआरों और मछली पालने वालों की रोज़ी-रोटी में सुधार करते हुए, समुद्री और अंदरूनी संसाधनों को ज़िम्मेदारी से मैनेज करने की देश की क्षमता को बढ़ा रहे हैं।

कुल मिलाकर, ये पहलें पानी के इकोसिस्टम को सुरक्षित रख रही हैं, बाज़ार के मौके बढ़ा रही हैं, महिलाओं को मज़बूत बना रही हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही हैं, और तटीय और अंदरूनी इलाकों में क्लाइमेट-रेज़िलिएंट कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही हैं। जैसे-जैसे यह सेक्टर ऊपर की ओर बढ़ रहा है, इनोवेशन, ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिटी एंगेजमेंट पर लगातार ज़ोर देना एक ज़्यादा मज़बूत और सबको साथ लेकर चलने वाली ब्लू इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी होगा। टारगेटेड स्कीम और मज़बूत कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क का मकसद छोटे और कारीगर मछुआरों के लिए समुद्री संसाधनों और बाज़ारों तक पहुंच को बेहतर बनाना है, ताकि यह पक्का हो सके कि सेक्टर की ग्रोथ का फ़ायदा सबसे कम सुविधाओं वाले समुदायों तक पहुँचे। इसलिए, भारत की चल रही पहलें मछली पालन और एक्वाकल्चर के सस्टेनेबल मैनेजमेंट को बढ़ावा देकर एसडीजी 14: पानी के नीचे जीवन को पाने में अहम योगदान दे रही हैं।¹

■ पीआईबी—

1. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2187691>
2. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2075160>
3. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2178659>
4. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2135713>
5. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1652993>
6. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2150100>
7. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2155580>
8. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2157850>
9. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2163641>
10. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2184552>
11. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2184705>
12. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2004216>
13. <https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2190829>
14. <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NotelId=155080&ModuleId=3>

- वार्षिक रिपोर्ट - <https://dof.gov.in/sites/default/files/2025-04/AnnualReport2025English.pdf>
- मत्स्य विभाग, भारत सरकार - <https://x.com/FisheriesGol/status/1988499133343428787?s=20>
- NABHMITRA App - <https://nabhmitra.sac.gov.in/about.html>
- ReALCRaft - <https://fishcraft.nic.in/web/new/index/>
- मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि - <https://dof.gov.in/fidf>
- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) -
<https://www.mpeda.gov.in/indianseafood/?p=1026>
- एडीजी - https://sdgs.un.org/goals/goal14#targets_and_indicators

पीके/केसी/वीएस